न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी डा0 मंजु आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 116/14** राजस्व वाद

श्री उदा पिता स्व. श्री रुपाजी भील निवासी उपरली बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।

वादी

बनाम

1. श्री काना पिता श्री रुपाजी भील, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
2. श्री टेका पिता श्री रुपाजी भील, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
3. श्री दौला पिता श्री रुपाजी भील, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
4. श्री गमेरा पिता श्री रुपाजी भील, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
5. श्री लिम्बा पिता श्री रुपा जी भील, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर(राज.)।
6. श्री भेरा पिता श्री रुपाजी भील, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
7. श्रीमती लहरीबाई पुत्री श्री रुपाजी भील, धर्मपत्नी प्रताप जी, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
8. श्रीमती प्रेमीबाई पुत्री श्री रुपाजी, धर्मपत्नी श्री हीरालाल जी, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
9. श्रीमती भंवरीबाई पुत्री श्री रुपाजी, धर्मपत्नी श्री अर्जुनलाल जी, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)।
10. श्रीमती लच्छूबाई विधवा श्री रुपा जी भील, निवासी उपरली बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर।
11. श्री रामा पिता श्री पेमाजी भील, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, उदयपुर।
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

श्री सत्यप्रकाष व्यास अधिवक्ता वादी उपस्थित

## निर्णय

दिनांक :

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़ी, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 153, 187, 188, 197 व 198 कुल कित 5 रकबा 0.6350 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके मूल पुरुष रुपा पिता फूला जी थे, जिसके उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 है। वादग्रस्त आराजीयात का रुपाजी के जीवनकाल में बंटवाड़ा होकर आराजी नम्बर 153 वादी के हिस्से में रखा गया तथा शेष आराजीयात प्रतिवादीगण अपनी सुविधानुसार मिलकर काश्त करते रहे है। दिनांक 17.07.2003 को रुपाजी ने एक वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी। वादी का विगत 40 वर्षो से आराजी नम्बर 153 रकबा 0.0700 हैक्टर पर कब्जा

चला आ रहा है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को आराजी नम्बर 153 का खातेदार घोषित किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थिति रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझोता रजिस्टर्ड नहीं होने से दिनांक 03.03.2009 को न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया।

न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.03.2009 से असंतुष्ट होकर वादी ने माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2014 से वादी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण इस आशय के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया की प्रकरण में अपंजीकृत वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता उन पर कितना प्रभावी है, इस बिन्दु पर तनकी कायम की जाकर एवं पक्षकारो की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किया जावे।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2014 में प्रथम बिन्दु में प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने हेतु कथन किया परन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण ने प्रतिउत्तर में कोई कथन नहीं रखा।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2014 में द्वितीय बिन्दु में वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता पर तनकीयात कायम की जाकर एवं पक्षकारो की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने का कथन किया परन्तु प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से तनकी कायम नहीं की जा सकी एवं वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शपथ–पत्रो के अलावा अन्य कोई बयान नहीं कराये जाने से पक्षकारो की साक्ष्य नहीं ली गई।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.02.2014 में तृतीय बिन्दु में पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से अपंजीकृत वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता उन पर कितना प्रभावी है पर तनकी कायम कर निर्णय किया जाना हेतु कथन किया है। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई परन्तु उक्त बिन्दु के बाबत् वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 ग्राम बड़ी प्रदर्श–4 अनुसार आराजी नम्बर 153, 187, 188, 197, 198 श्री रुपा पिता फुला भील के खाते दर्ज थी, प्रदर्श–2 जमाबन्दी अनुसार नामान्तरकरण संख्या 734 दिनांक 18.01.05 विरासत से आ.नं. 153 रकबा 0.0700 श्री उदा, काना, टेका, दोला, गमेरा, लिम्बा, भेरा, लेहरीबाई, प्रेमीबाई, भमरीबाई पिता रुपा 10/12, रामा पिता प्रेमा 1/12, श्रीमती लातुबाई पत्नि रुपा 1/12 भील के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। वादी ने आराजी नम्बर 153 के बाबत् वसीयतनामा एवं पारिवारिक समझौता प्रस्तुत किया है। यद्यपी वादी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नहीं है परन्तु वादी ने जो वसीयतनामा प्रस्तुत किया है उसमें जो साक्षी संख्या 1 नवला पिता वरदाजी भील एवं साक्षी संख्या 2 धन्ना पिता परथा जी भील ने उनके द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि रुपाजी ने उनके सामने ही यह वसीयत वादी को की है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त

आराजीयात के मूल खातेदार श्री रुपाजी पिता फूलाजी थे जिनको वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। जिससे वादी हाल आराजी नम्बर 153 को मात्र अपने खाते करा पाने एवं शेष सहखातेदारी भूमि का बंटवाड़ा करा पाने का अधिकारी होने से वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया।

तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार मौजा बड़ी, तहसील बड़गांव की वादग्रस्त आराजी नम्बर 153 रकबा 0.0700 हैक्टर पर मात्र वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। एवं शेष वादग्रस्त आराजी नम्बर 187, 188, 197 व 198 कुल किता 4 रकबा 0.5650 हैक्टर भूमि फार्महाउस प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित होकर वादी अथवा प्रतिवादी के बजाय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज है। जिससे आ.न. 153 रकबा 0.0700 हैक्टर पर वादी उदा पिता रूपा भील के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया है। एवं शेष आराजीयात 187, 188, 197 व 198 को नगर विकास प्रन्यास के नाम यथावत रखा जाना प्रस्तावित किया गया है।

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट पर आपत्ति/बहस हेतु भी पर्याप्त अवसर दिया गया। किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी अधिवक्ता की बंटवाडा रिपोर्ट पर एक तरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता बंटवाडा रिपोर्ट पर सहमत हुए।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं बटंवाडा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। वादी अधिवक्ता भी रिपोर्ट अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु सहमत है। न्यायालय तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार पूर्ण सहमत है। अतः मौजा बड़ी, तहसील बड़गांव की वादग्रस्त आ.न. 153 रकबा 0.0700 हैक्टर मे वादी उदा पिता रूपा भील को खातेदार घोषित किया जाता है एवं शेष वादग्रस्त आराजीयात 187, 188, 197 व 198 में हाल राजस्व जमाबन्दी अनुसार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज इन्द्राज को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

डा0 मंजु
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

(प्रशिक्षणार्थी) गिर्वा, उदयपुर